**संख्या- 103 /2021 / 623 /चार-2021-1881/ 2020**

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, ,
लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1327/उ0प्र0सं0नि0-5(86)/2019-2020 दिनांक 09 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था- लोक निर्माण विभाग गोरखपुर द्वारा गठित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 984.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 492.07 लाख (रूपये चार करोड़ बानवे लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. प्रायोजना में इंटीरियर एक्जीबिट जैसे विशिष्ट प्रकृति के कार्य की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण कर लागत संस्तुत की जाएगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जाएगी। प्रायोजनान्तर्गत विद्युत कार्य मद के अन्तर्गत लेन सिस्टम, आई0बी0एम0एस0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, एन्टी थेफ्ट वर्क सिस्टम के क्रय/स्थापना के संबंध में वित्तीय स्वीकृति के निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

3. उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जाय। उक्त कार्य हेतु सुरक्षा की दृष्टिगत से अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(6) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(7) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -53-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-645 /दस-2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 103 /2021 / 623 (1) /चार-2021-1881/ 2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर-आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी-राज्य संग्रहालय, लखनऊ/रा.बौ. संग्रहालय, गोरखपुर।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।